कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर

पत्रांकः 1144 /जि0पं0/2018–19 दिनांकः 31-1-19

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

''कृष्णा इंस्टीटयूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन'' ग्राम–हाशमपुर नूरपुर रोड़ बिजनौर।

कृष्णा एजुकेशनल एण्ड सोशल डवलपमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

विषय :– कृष्णा एजुकेशनल एण्ड सोशल डवलपमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद (उ0प्र0) के द्वारा निर्मित भवन कृष्णा इंस्टीटयूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, ग्राम–हाशमपुर नूरपुर रोड़ बिजनौर के भवन हेतु मानचित्र स्वीकृति की अनुज्ञा प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र सं0 140/के0ई0एस0डी0टी0/2018–19 दिनांक 15.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत निर्मित भवन के मानचित्र स्वीकृति की अनुज्ञा निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के अनुपालन में जिला पंचायत, बिजनौर के ग्राम्य क्षेत्रान्तर्गत निर्मित/निर्माण किये जाने वाले सभी प्रकार के भवनों के मानचित्र एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से लागू नक्शा उपविधि में प्राविधानित सुसंगत मानको के अनुसार क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/अभियन्ता द्वारा परीक्षण किया गया जिसके अनुसार विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचना (प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार)

1–कुल भूखण्ड क्षेत्रफल–22350.00 वर्ग मीटर

2'–सभी तलों का आच्छादित क्षेत्रफल–9333.52 वर्ग मीटर

3–फ्लोर एरिया रेशियो (एफ0ए0आर0)–0.417

4 भूतल का आच्छादित क्षेत्रफल–3329.07 वर्ग मीटर

5–भूखण्ड का खुला क्षेत्रफल–19020.93 वर्ग मीटर

6–प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू–उपयोग के अनुसार है।

7–प्रस्तावित आराजी ग्राम हाशमपुर परगना दारानगर के खाता सं0–38 के गाटा सं0–134 रकबई 4.110 है0, के बकदर भाग 1.729 है0 तथा खाता सं0–39 के गाटा सं0–135 रकबई 0.506 कुल रकबा 2.235 है0 भूमि को जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 में वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत न्यायालय, परगनाधिकारी, बिजनौर द्वारा दिनांक 18–05–2015 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त कर दिया गया है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बिजनौर

8–निर्मित भवन में भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू–आच्छादन पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा।

9–पार्क, टोट–लोट्स, लैंडस्केप आदि का क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

10–भवन से हाई वोलटेज इलैक्ट्रिक लाईन की दूरी नक्शा उपविधि में अंकित उर्ध्वादर/क्षैतिज दूरी क्रमशः 3.70 मीटर/1.80 मीटर से अधिक है।

11–भूखण्ड में 01 वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से वृक्ष स्थित हैं, जिनको बिना वन विभाग की अनुति नहीं काटा जायेगा।

12–कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर के यू0आई0डी0 संख्या–2018/42491/बी0जे0आर0/बिजनौर/311/जे0डी0 दिनांक 03–08–2018 के द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 22350.00 वर्ग मीटर पर प्रस्तावित/निर्मित शैक्षिक भवन निर्माण हेतु अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (एजुकेशनल श्रेणी के अर्न्तगत) दिनांक 02–08–2021 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। (संलग्न)

भवन का अधिभोग विवरणः—शैक्षणिक भवन

प्रस्तावित निर्मित भवन राष्ट्रीय भवन संहिता (नैशनल बिल्डिंग कोड–2005) व भारतीय मानक ब्यूरो में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार वास्तुविद **ब्रिकेन डिजाइन कन्सलटेन्टस** के सुपरविजन में बनाया गया है। साथ ही भूकम्परोधी व सुरक्षित अभिकल्प (डिजाइन) होने का प्रमाण पत्र **भारत आर्कीटेक्ट, इंजीनियर्स एण्ड वेलुअर्स–मेरठ** द्वारा प्रस्तुत किया गया है (संलग्न)।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी, जिसके सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के भवन उपयोग से पूर्व प्राप्त करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भवन स्वामी/संस्था की होगी। साथ ही प्रस्तावित भवन में सैटबैक जिला पंचायत नक्शा उपविधि–2018 के अनुसार है, जो सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण मान्य नहीं होगा तथा भवन के चारो तरफ अग्निशमन दमकलों के आवागमन हेतु कम से कम चार मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग का होना आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत भवन मानचित्रों की अनुज्ञा प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/संस्था में सभी प्राविधान नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार बनाये रखेंगे तथा निर्मित भवन परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार करने से पूर्व जिला पंचायत बिजनौर अवगत कराना होगा व भवन के प्रयोग करने से पहले जिला पंचायत नक्शा उपविधि के अनुसार जिला पंचायत, बिजनौर से स्थायी पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकःअनुमोदित मानचित्र।

अपर मुख्य अधिकारी
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बिजनौर।
जिला पंचायत, बिजनौर